3-8-17	[illegible] जारी हुई/तामील हुआ/अन्य कोर्ट में जाता है; पत्रावली दि. 26.9.17 को पेश हो।
26.9.17	वकील अप्रार्थी उप.। वकील अप्रार्थी ने बहस हेतु समय चाहा। पत्रा. दिनांक 27.09.17 को पेश हो।
27.09.17	वकील अप्रार्थी ~~[illegible]~~ उपस्थित। बहस अप्रार्थी सुनी गई। वकील अप्रार्थी ने मुताबिक विभाजन स्कीम दावा डिक्री करने का अनुरोध किया। विभाजन स्कीम प्राथमिक डिक्री के अनुरूप प्राप्त हुई है। अतः वकील अप्रार्थी की सहमति से वाद वादी मुताबिक विभाजन स्कीम डिक्री किया जाता है एवं ख.नं. 2717/2 रकबा 0.02 हे. का वादी पुत्र [illegible], [illegible], [illegible] [illegible], उसकी पत्नी [illegible], [illegible] पुत्र [illegible], पुत्री [illegible] ना.बा. [illegible] माता उसकी आदि [illegible] को, ख.नं. 2717/2 रकबा 0.10 हेक्टर ग्राम [illegible] 'ब' का वादी पुत्र [illegible] आदि [illegible] को, ख.नं. 2717/3 रकबा 0.13 हेक्टर ग्राम [illegible] 'ब' का [illegible] पुत्र [illegible], [illegible] को खातेदार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। विभाजन स्कीम [illegible] [illegible] [illegible] होकर [illegible] से [illegible] है एवं [illegible] तकमील [illegible] बाद [illegible] हो।